संख्या–2485/33–3–2013–73/2012

प्रेषक,

अशोक कुमार
प्रमुख सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(1) समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।

(2) समस्त जिलाधिकारी
उत्तर प्रदेश।

(3) निदेशक,
पंचायती राज,
उ0प्र0, लखनऊ।

पंचायती राज अनुभाग–3 लखनऊः दिनांकः 10सितम्बर, 2013

विषयः–भूख मुक्ति एवं जीवन रक्षा गारण्टी योजना के अन्तर्गत प्रदेश की बी0पी0एल0 श्रेणी की सभी महिलाओं को दो–दो साड़ी तथा वृद्धजनों को एक–एक कम्बल निःशुल्क वितरित किये जाने के हेतु योजना के स्वरूप के निर्धारण के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–884/33–3–2013–73/2012, दिनांक 19 मार्च, 2013 द्वारा भूख मुक्ति एवं जीवन रक्षा गारण्टी योजना के अन्तर्गत प्रदेश की बी0पी0एल0 श्रेणी की सभी महिलाओं को दो–दो साड़ी तथा वृद्धजनों को एक–एक कम्बल निःशुल्क वितरित किये जाने के हेतु योजना के स्वरूप का निर्धारण किया गया था।

2– सम्यक विचारोपरान्त उक्त योजना के अन्तर्गत साड़ी एवं कम्बल की विशिष्टियों को निम्नवत संशोधित/परिवर्धित किया जाता है :–

साड़ी की विशिष्टियों में संशोधन/परिवर्धन :

क0 सं0		विशिष्टियां
1	लम्बाई	साड़ी की लम्बाई न्यूनतम 5.50 मीटर होगी।
2	चौड़ाई	साड़ी की चौड़ाई न्यूनतम 1.10 मीटर होगी।
3	वजन	वजन 55जी0एस0एम0 पूर्व की भांति यथावत होगा।
4	कलर फास्टनेस /स्टेनिंग आन पालिस्टर	40 डिग्री सेंटीग्रेट पर धुलाई के बाद कलर फास्टनेस मे शेड में परिवर्तन 4 या अधिक होगा। स्टेनिंग आन पालिस्टर भी 4 या अधिक होगा।
5	कलर फास्टनेस टू रबिंग आन काटन में ड्राई /वेट (wet)	कलर फास्टनेस टू रबिंग आन काटन में ड्राई 4 या अधिक एवं वेट (wet) 4 या अधिक होगा।
6	लाइट फास्टनेस	4 या अधिक होगा।
7	ब्रेकिंग स्ट्रेन्थ (5सें0मी0x 20सें0मी) वार्प (warp)/ वेफ्ट (weft)	वार्प (warp) 30 के0जी0एफ0 न्यूनतम एवं वेफ्ट (weft) 25 के0जी0एफ0 न्यूनतम होगा।

कम्बल की विशिष्टियों में संशोधन/परिवर्धन :

क0सं0		विशिष्टियां
1	टाइप आफ फाइवर	होजरी पुल्ड शौडीयार्न विद ऊल कन्टेन्ट में से "होजरी पुल्ड" शब्द हटाया जाता है।
2	ब्रेकिंग स्ट्रेन्थ –वार्प (warp) (15सें0मी0x 20सें0मी स्ट्रिप्स)	90 के0जी0एफ0 न्यूनतम होगा।
	–वेफ्ट (weft) (15सें0मी0 x 20सें0मी स्ट्रिप्स)	60 के0जी0एफ0 न्यूनतम होगा।

3– साड़ी एवं कम्बल की उक्त संशोधित एवं परिवर्धित विशिष्टियों को शासनादेश संख्या–884/33–3–2013–73/2012, दिनांक 19 मार्च, 2013 में अंकित साड़ी एवं कम्बल की विशिष्टियों में अतिरिक्त रूप से संशोधित/परिवर्धित करते हुए सम्मिलित किया जाता है, जिसे उक्त शासनादेश दिनांक 19 मार्च, 2013 में अंकित साड़ी एवं कम्बल की विशिष्टियों सहित समेकित रूप से पढ़ा जाय।

4– उक्त शासनादेश दिनांक 19 मार्च, 2013 के प्रस्तर–9 (क)– प्री–डिस्पैच परीक्षण हेतु वस्त्र समिति कानपुर लैब को भी साड़ी की टेस्टिंग हेतु अनुमोदित शासकीय प्रयोगशालाओं में सम्मिलित किया जाता है।

इस प्रकार शासनादेश संख्या–884/33–3–2013–73/2012, दिनांक 19 मार्च, 2013 को इस सीमा तक संशोधित /परिवर्धित समझा जाय। उक्त शासनादेश दिनांक 19 मार्च, 2013 द्वारा निर्धारित योजना का स्वरूप एवं अन्य शर्तें यथावत रहेंगी। उक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अशोक कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– प्रमुख सचिव, हथकरघा एवं वस्त्र उद्योग विभाग, उ0प्र0 शासन।
2– प्रमुख सचिव, लघु उद्योग विभाग, उ0प्र0 शासन।
3– निदेशक, उद्योग, कानपुर।
4– समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5– समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6– समस्त महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, उत्तर प्रदेश।
7– समस्त जिलापूर्ति अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
8– प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 इण्डस्ट्रीयल कोआपरेटिव एसोसियेशन लि0, लखनऊ।
9– प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश, राज्य हथकरघा निगम, कानपुर।
10– डी0जी0एम0(मार्केटिंग), नेशनल टेक्सटाइल्स कार्पोरेशन लि0, कोर–4, स्कोप काम्पलेक्स, 7 लोधी रोड, नई दिल्ली।
11– सचिव, श्री गांधी आश्रम, खादी भवन, हजरतगंज, लखनऊ।
12– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(भरत लाल राय)
विशेष सचिव।